विदिशा में संग्रहालय की स्थापना

2248. **श्री राघवजी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से प्राप्त कौन-कौन सी सामग्री देश और विदेश के किन-किन संग्रहालयों और स्थानों पर भेजी गई है;

(ख) क्या विदिशा में किसी संग्रहालय की स्थापना किए जाने और इस सामग्री को वापस लाकर इसमें रखे जाने की कोई योजना है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई): (क) विदिशा से पाए गए कुछ शिल्पकला के नमूने और पुरातत्वीय घटक ग्वालियर में स्थित गुजरी महल, भोपाल में स्थित राज्य संग्रहालय, मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित राज्य संग्रहालय पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में स्थित भारतीय संग्रहालय, हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित राज्य संग्रहालय और लन्दन हाऊस के ब्रिटिश संग्रहालय में रखे गए हैं। उपलब्ध ब्यौरे अनुपत्र में दिए गए हैं। [देखिए परिशिष्ट 179, अनुपत्र सं. 49]

(ख) जी, नहीं।

(ग) वर्ष 1947 से पूर्व पाए गए शिल्पकला और पुरातत्वीय घटक प्रदर्शन और अनुसंधान के लिए उन संग्रहालयों में रखे गए थे। समय के व्यतीत होने के साथ, इन पुरावशेषों का महत्व और अधिक बढ़ गया है और उन संग्रहालयों से इनका संबंध जुड़ गया है। विदिशा में उन्हें वापिस लाना व्यावहारिक नहीं है।

Harassment of passengers by coolies at Railway Stations

2249. SHRI V. RAJESHWAR RAO:
DR. SHRIKANT RAM CHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the coolies at the major railway stations harass the passengers;

(b) if so, the steps being taken to prevent this; and

(c) the type of complaints received from the harassed pasengers?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) Some complaints regarding overcharging and other irregularities committed by licensed porters have been received.

(b) The following steps have been taken to prevent licensed porters from harassing passengers:—

(i) Deterrent action is taken against licensed porters for the irregularities committed by them. These include warnings, fines, temporary suspension by confiscating badges and permanent cancellation of licence.

(ii) Prominent display and announcement of porterage charges at stations in order to notify passengers.

(iii) Conducting regular and surprise checks to prevent cornering of seats/berths in unreserved compartments by licensed porters.

(c) Complaints received from the passengers are of the following nature:

(i) Charging more than the authorised rates from passengers.

(ii) Cornering of seats by licensed porters in unreserved compartments and selling them on a premium.

(iii) Misbehaviour with the passengers.

देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों के साथ जोड़े गये शहर

2250. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के साथ अब तक जोड़े गए शहरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अहमदाबाद के साथ देश के प्रमुख शहरों और क्षेत्रों को पूरी तरह से जोड़ दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) देश के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र जिसमें मुख्यत: राजस्थान और पंजाब शामिल हैं, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कलकत्ता, गुवाहाटी, मद्रास, तिरुवनन्तपुरम्, भोपाल, नागपुर, मुंबई, अहमदाबाद और मार्गवर्ती शहरों/नगरों सहित देश के प्रमुख शहरों से भली-भांति जुड़े हैं।